


8-11-19

फ़ायदगी पैरा इदी बार-बार आवज़
 हिलवाईज परबलु चारी या नारीगळ
 ले आवीवळ्या वास्तु पैरवी उपास्केर
 नहीं है, न्यायालय का समय समाप्त
 होले लो है अतः चारीगळों का काद
 अयम दायरी एवं अयम पैरवी में स्वीकृत
 किया गया। फ़ायदगी पैराल सुमाद्र
 देकर दून नम्बर से कम हो। ओदेश
 हुंले न्यायालय में सुनाया गया।


 सुप खंड अधिकारी
 साँभर लेक

